lines which will connect Shahjahanpur with Mailani. This Railway line was dismantled in the year 1914 and was taken out of the country by the Britishers. A survey for re-laying this Railway line was ordered by Minister for Railways in 1972-73 and it was accepted in principle that if found economically feasible the construction of the railway line will be taken up. But since then the matter is pending further action. A railway line in this area is absolutely essential as this backward area has a great potential for development and by providing railway line will give a boost to the economy of the entire district. I request the Government to kindly sanction a railway line on the basis of the Railway Board's Resolution taken in 1971.

(v) PROPER MAINTENANCE AND REPAIRS OF 'MUKTI-MANDAP, AND OTHER MONUMENTS IN ORISSA.

SHRI CHINTAMANI JENA (Balasore) : There are 66 centrally protected monuments in Orissa including Lord Jagannath Temple complex. "Mukti-Mandap", a place of learning and culture as well as a religious place where learned pandits, eminent ancient educationists, astrologers, palmists etc. sit together to give their verdicts on Hindu religion to the Hindu community in the country by interpreting the version of "Manusanghita" "Veda", "Vedanta" etc. like Kashi in U.P. This "Muktimandap" was constructed along with the world famous temple of Lord Jagannath about thousand years back, but is now in a very bad shape or condition and in a dilapidated situation where profuse leakage of rain water from the walls and roofs is pouring and the learned Pandits are not able to assemble there at the risk of their valuable lives and give their verdicts on various problems and important matters of Hindu community. Apart from this acute problem faced by the eminent Pandits, lakhs of pilgrims and devotees from all over the country as well as from abroad, visiting daily this world famous Lord Jagannath Temple, are also at the risk of their lives, not going round the temple and many of them avoid to go round the area, since this "Mukti Mandap" is located in the premises of the temple of Lord Jagannath.

Since this is a centrally protected monument and the Archeological subcircle for Orissa are not taking proper interest for repairs and maintenance of these historical , world famous monuments, the Archeological sub-circle of Orissa is also handicapped for spending required amount for its maintenance which does not come within their purview and jurisdiction. Repeated requests and pursuasion from the Government of Orissa to create separate Archeological survey for Orissa has failed and the Union Govt. had not given any importance to it to protect more than 100 such historical ancient centrally protected monuments in Orissa which are very famous for its sculpture and now going to be received day by day.

However, I would very humbly request the Union Govt. to pay their sincere and urgent attention for proper maintenance and repairs of this "Mukti Mandap" as well as other centrally protected monuments of Orissa and the hon. Minister for Education may kindly make a statement on the floor of the House on this issue.

(vi) WRONG BILLING IN RESPECT OF TELEPHONES OF MEMBERS OF PARLIAMENT.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, टेलीफोन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में सदन में कई बार चर्चायें हुई। सदस्यों ने इस सम्बन्ध में तीव्र

रोष भी व्यक्त किया, लेकिन उसके बाद भी स्थिति सुधरने के बजाए बिगड़ती जा रही है।

पहले तो उपभोक्ता टेलीफोन की लाइन की गड़बड़ी, टेलीफोन का काम नहीं करने की वजह से परेशान थे और अब एक मुसीबत आ गई है, और वह है गलत ढंग से हजारों रुपये के टेलीफोन बिल भेजने की। मेरा टेलीफोन नं० 387182 है. उसका एस टी डी भी कटा हुआ है लेकिन उसके बाद भी करीब चार हजार काल्ज की अतिरिक्त रकम वेतन से काट ली गई है और पता नहीं कब तक कटती रहेगी। वेतन के नाम पर "निल" मिल रहा है।

आश्चर्य तो तब होता है कि जिस समय मैं दिल्ली से महीनों बाहर था और टेलीफोन में ताला लगा था, उस समय भी पांच हजार से अधिक लोकल काल्ज का उपयोग मेरे द्वारा दिखलाया गया है। इस तरह की शिकायतें काफी संसद-सदस्यों ने की हैं। जब संसद-सदस्यों के साथ यह धांधली हो रही है, तो आम उपभोक्ताओं के साथ क्या होता होगा ? बिहार में टेलीफोन में व्याप्त धांधली, टेलीफोन के काम नहीं करने, गलत बिल भेजने आदि समस्याओं के विरोध में हजारों उपभोक्ताओं ने पिछले दिनों प्रदर्शन किए और करीब पाँच सौ टेलीफोन सरकार को वापस कर दिए। आम उपभोक्ताओं में काफी रोष है।

मैंने टेलीफोन में व्याप्त धांधली के सम्बन्ध में कई बार संचार मंत्री को पत्र लिखा और मंत्री महोदय की तरफ से एक ही घिसा-पिटा जवाब भी आ गया। मैंने इस सम्बन्ध में कुछ दिन पूर्व भी संचार मंत्री को पत्र लिखा है। लेकिन क्या जवाब आयेगा, वह मुझे मालूम है।

अतः आप स्वयं आम उपभोक्ताओं के हित की रक्षा करें और सरकार को इस सम्बन्ध में निर्देश दें, जिससे देश के लाखों टेलीफोन उपभोक्तों को राहत मिल सके।

(vii) SUPPLY OF WHEAT TO BIHAR IN VIEW OF DROUGHT AS WELL AS FLOODS IN THE STATE.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना): उपाध्यक्ष महोदय, उत्तरी बिहार में भीषण बाढ़ और दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में व्याप्त सूखे की स्थिति ने बिहार निवासियों को भारी संकट में डाल दिया है। इस पर तुर्रा यह कि बिहार की गरीब और पिछड़ी जनता भारत सरकार का कोप भाजन बन गई है। ऐसे सरकार कहने को तो कुछ भी कह ले; पर वास्तविकता यही है कि वह बिहार-वासियों को बड़ी ही उपेक्षा की दृष्टि से देखती है। उदाहरण के लिए बिहार को दिए जाने वाले गेहूं के माहवारी कोटे को हम ले सकते हैं।

अप्रैल, 1978 से लेकर अगस्त, 1979 तक बिहार सरकार को प्रति-माह एक लाख टन गेहूं मिलता रहा। परन्तु दुख है कि भारत सरकार बिहार को मिलने वाले गेहूं के कोटे को धीरे धीरे काटती गई। इस प्रकार एक लाख टन गेहूं के कोटे को घटा कर 75 हजार टन कर दिया गया। 1980 में उसमें भी कमी कर के 60 हजार टन कर दिया गया। अगस्त, 1980 में कोटे को 30 हजार टन किया गया और बाद में तो उसे 20 हजार टन माहवारी कर दिया गया। परन्तु क्षोभ की बात तो यह है कि इस साल जुलाई से बिहार की आठ करोड़ की आबादी को खिलाने के लिए केवल 12 हजार टन गेहूं दिया जा रहा है।

गेहूं में इस भारी कटौती के कारण बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली चरमरा रही है। राशन की दुकानों में गेहूं के अभाव में खुले बाजारों में उसका मूल्य बहुत बढ़ गया है। औद्योगिक क्षेत्रों में तो गेहूं मिलना भी मुश्किल हो गया है। फलस्वरूप उपभोक्ताओं को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए बिहार सरकार ने संकटकालीन पत्र (एस ओ एस)